मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 (आषाढ़ 31, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –

(i) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त,

(ii) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-1),

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक-2),

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3), तथा

(v) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्रमांक-5), तथा

(ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(i) क्रमांक एफ-ए-3-11-2015-1-पांच (19), दिनांक 31 मार्च, 2015,

(ii) क्रमांक एफ-ए-3-24-2015-1-पांच (23), दिनांक 15 मई, 2015 तथा

(iii) क्रमांक एफ ए3-10-2015-1-पांच (21), दिनांक 09 अप्रैल, 2015

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा 12 की उप धारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट (प्रशासकीय प्रतिवेदन) वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री –

(क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अधिनियम, 1980 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015

पटल पर रखेंगे.

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री –

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष एवं वर्ष 2010-2011 एवं 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013

पटल पर रखेंगी.

(5) श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन 1965) की धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-37-2-2015-बीस-3, दिनांक 11 फरवरी, 2015 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री अन्तर सिंह आर्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83- बी की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(8) श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की कंडिका 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 पटल पर रखेंगी.

(9) श्री लालसिंह आर्य,राज्यमंत्री,नगरीय विकास एवं पर्यावरण –

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015,

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 एवं 2012-2013, तथा

(ग) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इन्दौर शहर में शीशा लाउंज पर रोक न लगाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर क्षेत्र में ओला एवं अतिवृष्टि से पीड़ित कृषकों को उचित मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन में हरिफाटक पुल से रामघाट तक फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के पनागर क्षेत्र के बरेला में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री नगरीय विकास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88, पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को को विधान सभा के जुलाई, 2015 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जय सिंह मरावी, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति, लोक लेखा समिति का उन्नीसवां से अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 54 वां से 65 वां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री गिरीश गौतम, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के बड़ोदा में स्टेडियम निर्माण किये जाने,

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम चिचहा से अरहेला तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम इछावर में 50 बिस्तर का अस्पताल शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,

(4) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के मोतीनगर चौराहे से धर्मश्री पुल तिराहा तक सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण किये जाने,

(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण केन्द्र खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

(3) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक,
30 मि. 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(4) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश तंग करने वाली
30 मि. मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

(5) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन्
1 घन्टा 2015) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(7) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. वर्ष 2015-2016 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया,वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

" दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75 तथा
2 घन्टे 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार पांच सौ तिरासी करोड़, नवासी लाख, इकतालीस हजार, दौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

10. वर्ष 1997-1998 की अधिकाई अनुदानों की मांगों का मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

" दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 7, 20, 20, 21, 24, 27, 58, 61, 67 तथा 69, के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो
30 मि. सौ तिरानवे करोड़, बानवे लाख, उनतालीस हजार, छ: सौ बयासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाए.".

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) का **पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 21 जुलाई, 2015

---

*अनुपूरक मांगों का पूस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

** अधिकाई मांगों का पूस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.